राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
ट्रीय लोकअदात मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
208 / 2021	29.06.2021	13.07.2024

उनवान

. सुन्दरसिंह पुत्र रोहिताश जाति अहीर निवासी डाबडवास तहसील नीमराना हाल तहसील मॉंढण जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

वादी

बनाम

. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना हाल मॉंढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड

......प्रतिवादी

दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा–88,89 जा0दी0

स्थितः–
श्री अजयपालसिंह चौहान अधिवक्ता – वादी
पैरोकार सरकार

–::निर्णय::– दिनांक :– 13.07.2024

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोकअदालत मुख्यालय नीमराना में सुनाये जाने निर्णय पेश वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0न0 हाल 450 / 0. 22 / 0.30,203 / 0.20,205 / 0.53,263 / 0.25,428 / 0.44,448 / 0.85,449 / 0.84,1079 / 0. 74 / 0.37,418 / 0.44,464 / 0.19,427 / 0.60,451 / 0.70 है0 वाके ग्राम डाबडवास हाल ल मॉंढण में स्थित होकर आराजी मुतनाजा कहलायेगी। उक्त आराजीयात में मिन वादी नाम सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश गलत अंकित किया हुआ है। जबकि वास्तविक व सही नाम सिंह पुत्र रोहिताश है तथा यही नाम मिन वादी के खरीदसुदा हिस्सा के राजस्व रिकॉर्ड ां पहचान के समस्त दस्तावेजात यथा परिवार राशन कॉर्ड, मतदाता पहचान पत्र , आधार में दर्ज है। तथा मिन वादी के कोई भाई नहीं है ना ही हमारे गांव में सुरेन्द्रसिंह पुत्र ाश नाम का कोई दुसरा व्यक्ति है। आराजी मुतनाजा में मिन वादी का गलत नाम दर्ज से किसान केडिट कार्ड बनवाने में अडचन आ रही है एवं मिन वादी आराजी मुतनाजा में दस्तावेजात के आधार पर अपने नाम को दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवाने को गरी है आदि–आदि अंकित करते हुए निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री इस्तकरार हक रूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि विवादित आराजीयात के खातेदार न अंकित मिन वादी का नाम सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान सुन्दरसिंह पुत्र रोहिताश दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावे एवं इसी अनुसार हाल व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

कारी बहरोड़ प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 की पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर जवाब–दावा पेश किया। प्रस्तुत –दावा के सारतः रहा कि बिन्दू संख्या 1 लगायात 5 वादी स्वंय सिद्व करें एवं बिन्दू 6 अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की आराजी प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रकरण त नामान्तरण की अपील का बनता है। न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किये जाने पर त प्रभावित नहीं होगा अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्यस्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2076–79 किता 7 एवं ग्राम पंचायत डाबडवास द्वारा दिनांक 24.03.2024 में जारी प्रमाण पत्र व पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रतिया पेश की है जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक प्रस्तुत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सुरेन्द्रसिंह उर्फ सुरन्दरसिंह पुत्र रोहिताश ग्राम डाबडवास तहसील मौंढण का मूल निवासी है उक्त दोनों नाम एक व्यक्ति के ही नाम है।

वकील उभयपक्षकारांन की बहस सुनी गई। दोराने बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए अभिकथन किया की विवादित आराजीयात में वादी का नाम सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश गलत अंकित किया हुआ है। जबकि वास्तविक व सही नाम सुन्दरसिंह पुत्र रोहिताश है तथा यही नाम वादी के खरीदसुदा हिस्सा के राजस्व रिकॉर्ड में एवं पहचान के समस्त दस्तावेजात यथा परिवार राशन कॉर्ड, मतदाता पहचान पत्र , आधार कॉर्ड में दर्ज है तथा वादी के कोई भाई नहीं है ना ही गांव में सुरेन्द्रसिंह पुत्र रोहिताश नाम का कोई दुसरा व्यक्ति है। आराजी मुतनाजा में वादी का गलत नाम दर्ज होने से किसान केडिट कार्ड बनवाने में अडचन आ रही है एवं वादी आराजी मुतनाजा में उक्त दस्तावेजात के आधार पर अपने नाम को दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं पैरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब सरकार में अंकित किया है कि आराजी प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किये जाने पर राजहित प्रभावित नहीं होगा आदि–आदि का अभिकथन करते हुए वाद वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्षकारांन की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनाता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी ख0न0 हाल 450/0.52,222/0.30,203/0.20,205/0.263/0.25,428/0.44,448/0.85,449/0.84,1079/0.51,374/0.37,418/0.44,464/0.427/0.60,451/0.70 है0 वाके ग्राम डाबडवास हाल तहसील मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ के बाबत के वाद को डिकी किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात बाबत वादी के नाम सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश के स्थान पर सुन्दरसिंह पुत्र रोहिताश नाम के अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमेआम मे सुनाया गया।

13-07-2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली—बहरोड़)

राष्ट्रीय लोकअदात मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
208 / 2021	29.06.2021	13.07.2024

उनवान

1. सुन्दरसिंह पुत्र रोहिताश जाति अहीर निवासी डावडवास तहसील नीमराना हाल तहसील मॉढण जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली—वहरोड़ राज0।

वादी

वनाम

2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहव नीमराना हाल मॉढण हाल जिला कोटपूतली—वहरोड

......प्रतिवादी

दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा—88,89 जा0दी0

—:पर्चा डिक्री:—

वादी की ओर से श्री अजयपाल सिंह चौहान एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 13.07.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी ख0न0 हाल 450 / 0.52,222 / 0.30,203 / 0.20,205 / 0.53,263 / 0.25,428 / 0.44,448 / 0.85,449 / 0.84,1079 / 0.51,374 / 0.37,418 / 0.44,464 / 0.19,427 / 0.60,451 / 0.70 है0 वाके ग्राम डाबडवास हाल तहसील मॉढण हाल जिला कोटपूतली—बहरोड़ के बावत के वाद को डिकी किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बावत वादी के नाम सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं सुरेन्द्र पुत्र रोहिताश के स्थान पर सुन्दरसिंह पुत्र रोहिताश नाम के अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

13.07.2024

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली—बहरोड़(राज0)